राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग राजसमंद

क्रमांक :– प.1( )/स्था./आ.बा./विज्ञप्ति/2022/ 1581 दिनांकः– 16/6/22

विज्ञप्ति संख्या 01/2022–23

जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों/वार्डों में आंगनबाडी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

क्र. सं.	परियोजना कार्यालय का नाम व ई–मेल आई.डी.,	ग्रामपंचायत/ नगरीय निकाय का नाम	ग्राम /वार्ड	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	रिक्त मानदेय पद का नाम	आरक्षित श्रेणी
1	आमेट ICDS.AAMET@RAJASTHAN.GOV.IN	गलवा	काबरी	काबरी	कार्यकर्ता	
2		लोढियाणा	लोढियाणा	लोढियाणा	सहायिका	
3		आगरिया	कोटड़ी	कोटड़ी	सहायिका	
4		न.पा.आमेट	वार्ड नं0 2	हरिजन बस्ती	कार्यकर्ता	
5		न.पा.आमेट	वार्ड नं0 20	रेबारियों की ढाणी	सहायिका	
6	भीम ICDS.BHEEM@RAJASTHAN.GOV.IN	बार	अमरपुरा	अमरपुरा	सहायिका	
7	**देवगढ़** ICDS.DEOGARH@RAJASTHAN.GOV.IN	सांगावास	पांता की आंती	पांता की आंती	सहायिका	
8		जीरण	टोकरा	टोकरा	सहायिका	
9		न0पा0देवगढ़	वार्ड नं019 (पुराना)	वार्ड नं0 19	कार्यकर्ता	
10	खमनोर ICDS.KHAMNOR@RAJASTHAN.GOV.IN	सलोदा	सगरूण	सगरूण	सहायिका	
11		शिशवी	वाजुन्दा	वाजुन्दा	कार्यकर्ता	एस.टी.
12		केसुली	केसुली	केसुली	कार्यकर्ता	
13		बिजनोल	बिजनोल	बिजनोल	सहायिका	
14		करोली	करोली की ढाणी	करोली की ढाणी	सहायिका	
15		नेगडिया	नेगडिया	नेगडिया	सहायिका	
16		बिलोता	नेता का गुड़ा	नेता का गुड़ा	सहायिका	
17		शिशोदा	दड़वल	दड़वल	सहायिका	
8			अटाटिया	अटाटिया	सहायिका	
19		पाखण्ड	आकोदड़ा	आकोदड़ा।।	सहायिका	
20		नेड़च	नेड़च	नेड़च	कार्यकर्ता	एस.टी.
21		कोठारिया	मोडवा	मोडवा	सहायिका	
22		बामनहेड़ा	रकमगढ़	रकमगढ़	सहायिका	
23		गुंजोल	कुंचोली	कुंचोली	कार्यकर्ता	
24		धांयला	गुडला	गुडला।।	सहायिका	
25		कालीवास	कालीवास	कालीवास	सहायिका	एस.टी.
26		करोली	करोली	करोली।	सहायिका	
27		टांटोल	पासुनिया	पासुनिया	सहायिका	एस.टी.
28		उथनोल	काजियावास	काजियावास	कार्यकर्ता	
29		सेमल	सेमल	सेमल	कार्यकर्ता	
30	कुम्भलगढ़ ICDS.KHUMBHALGARH@RAJASTHAN.GOV.IN	कांकरवा	भीलो की भागल	भीलो की भागल	कार्यकर्ता	एस.टी.
31		मजेरा	मजेरा	मजेरा	कार्यकर्ता	
32		ओडा	ओडा	ओडा	कार्यकर्ता	
33		उमरवास	ढिलोडिया	ढिलोडिया	कार्यकर्ता	

16/6/22

34		कड़िया	कम्बोड़ा	कम्बोड़ा	सहायिका	
35		जनावद	जनावद	जनावद	सहायिका	
36	राजसमंद ICDS.RAJSAMAND@RAJASTHAN.GOV.IN	बडारडा	तेजपुरिया	तेजपुरिया	सहायिका	एस.टी.
37		एमडी	एमडी	एमडी।।।	कार्यकर्ता	
38		खटामला	वागुन्दड़ा	वागुन्दड़ा	कार्यकर्ता	
39			खटामला	खटामला	सहायिका	
40		फियावड़ी	फियावड़ी	फियावड़ी।	कार्यकर्ता	
41		कुंवारिया	कुंवारिया	कुंवारिया।।	कार्यकर्ता	एस.सी.
42		न0प0राजसमंद	वार्ड नं0 43	हुसैनी चौक	कार्यकर्ता	अल्प संख्यक
43	रेलमगरा ICDS.RAILMAGARA@RAJASTHAN.GOV.IN	ओडा	ओडा	ओडा प्रथम	सहायिका	
44		कुरज	कुरज	कुरज तृतीय	सहायिका	

1. ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, उस राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए। (मूल निवासी होने का आधार हेतु दस्तावेजों की छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/जन आधार कार्ड/आधार कार्ड /मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/ग्राम विकास अधिकारी अथवा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजो की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में किया जाये) विधवा महिला व तलाकशुदा महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता, हेतु न्युनतम योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण होना तथा सहायिका हेतु न्युनतम दसवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
3. आवेदन पत्र के साथ (1)अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकतालिका/प्रमाणपत्र, (2)सैकण्डरी,सीनियर सैकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3)बीएड/एनटीटी/डीपीएसई डिप्लोमा (यदि लागु हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र /आधार कार्ड /जन आधार कार्ड (5) अनुसुचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/ आशा सहयोगिनी /साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो) (7) बीपीएल कार्ड (केन्द्र सूची अनुसार) /खाद्य सुरक्षा/अन्त्योदय/भारत सरकार के आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण में पात्र(यदि लागु हो तो) (8) एएनएम/जीएनएम/आर्युवेद नर्सिंग/RSCIT/PGDCA के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो) (9) विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र /ज्योति योजना लाभार्थी होने का प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो) इत्यादि दस्तावेजो की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जावे। दस्तावेजो के आधार पर ही मुल्यांकन प्रपत्र तैयार किया जावेगा।
4. वैवाहिक स्थिति– आंगनबाड़ीकर्मी के पद पर आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक है।
5. आयु– आवेदन के लिए न्युनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी, लेकिन अनुसूचित जाति,जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित– प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में अधिकतम् आयु 45 वर्ष तक की होगी। (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को)• विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक है। • परित्यक्ता एवं तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय /उपखण्ड अधिकारी इत्यादि) से जारी आदेश /डिक्री की छाया प्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जावे।
6. जिन केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों हेतु अनिवार्यतः उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जानी चाहिए।
7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी–लेयर के जारी प्रमाण पत्र सम्बंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व से अधिक पुराना प्रमाण मान्य नही होगा।
8. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जाना अनिवार्य है।
9. आवेदन फार्म बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट से प्राप्त किये जा सकते है।
10. योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः/ रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा अन्य माध्यम द्वारा संबंधित परियोजना कार्यालय की ई–मेल पर विज्ञप्ति जारी होने के बाद दिनांक 16.07.2022 तक सायः 5.00 बजे तक जमा करा सकेगें।

16/6/22

11. विज्ञप्ति सम्बंधी विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/संबंधित बाल विकास परियोजना अधि0 कार्यालय/विभागीय वेबसाईट http://www.rajasthyan.gov.in पर उपलब्ध परिपत्र क्रमांक 108508 दिनांक19.8.2021 से प्राप्त की जा सकती है।
12. आवेदन पत्र जमा कराने की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करे।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिए कुल 5000 रू. की राशि तीन किश्तों में सीधे खाते में जमा करा लाभान्वित किया जाता है।
(योजना में पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए आंगनबाडी केन्द्र अथवा आईसीडीएस विभाग में सम्पर्क करें।)

16/6/22
(एन.एल.मेघवाल)
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजसमंद

क्रमांक :– प.1( )/स्था./आ.बा./विज्ञप्ति/2022/ 1582-90 दिनांक :– 16/6/22

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक महो0 समेकित बाल विकास सेवाएँ राज0 जयपुर।
2. जिला कलक्टर महो0, राजसमंद।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महो0, जिला परिषद राजसमंद।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद।
5. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला राजसमंद।
6. आयुक्त नगर परिषद राजसमंद/ नगर पालिका आमेट/देवगढ़/नाथद्वारा।
7. विकास अधिकारी,पंचायत समिति आमेट/भीम/देवगढ़/कुम्भलगढ़/खमनोर/राजसमंद/रेलमगरा/देलवाड़ा।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी आमेट/भीम/देवगढ़/कुम्भलगढ़/खमनोर/राजसमंद/रेलमगरा को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति की प्रति ग्राम पंचायत/नगरपालिका एवं संबंधित आंगनवाडी केन्द्र पर चस्पा करावे। रिक्त पदों का व्यापक प्रचार–प्रसार करावे। विभाग के परिपत्र क्रमांक 108508 दिनांक 19.8.2021 एवं इसमे संशोधन अनुसार चयन कार्यवाही समय पर पूर्ण करावे।

16/6/22
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजसमंद